04/07/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप.। दावा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/5141

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 252/2024 GCMS:- 2024/514 **दायर दिनांकः— 27—08—2024**

बगड़सिंह पुत्र श्री जरनेलसिंह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ———— वादी

बनाम

1—गुरप्रीतसिंह उर्फ रणजीतसिह पुत्र श्री पालसिंह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ
2—औमप्रकाश पुत्र श्री मामराज जाति मेघवाल साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ
3—विनोद कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति धानक साकिन जैतसर तहसील श्री विजयनगर
4—गुरमेलकौर पत्नी करनैलसिंह } अकवाम बाजीगर साकिनान मानेवाला तहसील
5—वकीलसिंह पुत्र करनैलसिंह } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
6—शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्तमान एसबीआई शाखा जैतसर
7—शाखा प्रबन्धक ओ बी सी बैंक वर्तमान पी एन बी शाखा निरवाना
8—उप पंजीयक सूरतगढ ।
9—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :—

1—श्री राजवीर भादू अभिभाषक वादी
2— महेन्द्र कुमार , सुर्य प्रकाश चौहान प्रतिवादी सं0 1 ता 5
3— पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

—:— निर्णय —:— दिनांक :— 04.07.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 60/48 के प0न0 100/332 मु0न0 21 के किला न0 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जिसमें वादी के द्वारा 1.496 है0 भूमि जरिये बैयनांमा खरीद कर कुल तादादी 2.529 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में वाके चक 2 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 60/48 के प0न0 100/332 मु0न0 21 के किला नं0 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 व 3 का 1/10 , 1/10 हिस्सा प्रत्येक का , प्रतिवादी सं0 4 व 5 का 1/5, 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है । उक्त जैरवाद रकबा में शमशेरसिंह पुत्र जरनेलसिंह के नाम 1.937 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । जिसके द्वारा अपने 1.937 है0 भूमि में से 1.496 है0 भूमि वादी को जरिये बैयनांमा द्वारा उप पजीयक सूरतगढ के समक्ष बैयनांमा तस्दीक करवाया गया। जिसका इन्तकाल सं0 196 दिनांक 05—6—2014 वादी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया । इसके पश्चात शमशेरसिंह के पास उक्त जैरवाद रकबा में 0.441 है0 भूमि ही राजस्व रिकार्ड शेष रही थी। उक्त जैरवाद रकबा की नई जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 ऑनलाईन जमाबन्दी ... राजस्व रिकार्ड की पूर्व जमाबन्दी के मुताबिक खातेदार कास्तकारो की भूमि कम करते हुए प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दी गई । तथा शमशेरसिंह पुत्र श्री जरनेलसिंह के द्वारा अपने हक ... में से 1.496 है0 भूमि बेचान करने के पश्चात शेष भूमि 0.441 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड होने के बावजूद ऑन लाईन जमाबन्दी के वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

शमशेरसिंह पुत्र श्री जरनेलसिंह के नाम 1.937 है0 भूमि दर्ज कर दी गई । जिसके द्वारा उक्त जैरवाद रकबा का बेचान प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में बैयनांमा करवा दिया गया । जो विधि विरूद्ध है तथा उक्त बैयनांमा वादी के हक व हिस्सा पर निष्प्रभावी है । उक्त जैरवाद रकबा में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.130 है0 भूमि ही खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज थी परन्तू आन लाईन जमाबन्दी बनाते वक्त जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1.240 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दी गई। जिसका प्रतिवादी नं0 1 कतई अधिकारी नही है । उक्त रकबा में वादी का 0.490 है0 खातेदारी भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज की गई है । प्रतिवादी नं0 4 व 5 की खातेदारी भूमि में से 0.620 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज़ कर दी गई है । जो प्रतिवादी न0 1 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम 0.490 है0 तथा प्रतिवादी नं0 4 व 5 के नाम 0.800 है0 बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे । उक्त जैरवाद रकबा में वादी के नाम 1.033 है0 भूमि के साथ वादी के द्वारा जरिये बैयनांमा 1.496 है0 भूमि शमशेरसिंह पुत्र जरनेलसिंह से खरीद करने के पश्चात वादी के नाम कुल 2.529 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुकी है । जिस पर वादी का कब्जा कास्त बदस्तूर चला आ रहा है । तथा वादी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर भूमि सुधार हेतू ऋण उठाया हुआ है । इसलिए वादी अपने नाम खातेदारी भूमि 2.529 है0 भूमि की घोषणा करवाने का कानूनन हकदार है । इसलिए वादी प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.490 है0 एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम से 0.800 है0 भूमि कलमजन कर एवं वादी के नाम दर्ज 1.240 है0 भूमि मिलाते हुये कुल 2.530 है0 भूमि वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 जरिये अभिभाषक महेन्द्र कुमार , सुर्यप्रकाश चौहान उपस्थिति हुये । प्रतिवादी सं0 6 ता 8 बावजूद तलबी सुचना हाजिर नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई । जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवाद्दी सं0 1 ता 5 द्वारा जबाब दावा पेश करने पर कोई आपत्ति न होने व आपसी सहमति होने के कारण तनकी कायम नही की गई ।

इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के अभिभाषकगण एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 2 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 60/48 के प0न0 100/332 मु0न0 21 के किला न0 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 में वादी के नाम 173/620 हिस्सा अर्थात 1.730 है0 , प्रतिवादी सं0 1 के नाम 13/620 हिस्सा अर्थात 0.130 है0 , प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1/10हिस्सा र्थात 0.620 है0 , प्रतिवादी सं0 3 के नाम 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0, प्रतिवादी सं0 4 के नाम 1/4 हिस्सा अर्थात 1.550 है0, प्रतिवादी सं0 5 के नाम 1/4 हिस्सा अर्थात 1.550 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । उक्त जैरवाद रकबा में शमशेरसिंह पुत्र जरनेलसिंह के नाम 1.937 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । जिसके द्वारा अपने 1.937 है0 भूमि में से 1.496 है0 भूमि वादी को जरिये बैयनांमा द्वारा उप पजीयक सूरतगढ के समक्ष बैयनांमा तस्दीक करवाया गया। इसके पश्चात शमशेरसिंह के पास उक्त जैरवाद रकबा में 0.441 है0 भूमि ही राजस्व रिकार्ड शेष रही थी। उक्त जैरवाद रकबा की नई जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 ऑन लाईन जमाबन्दी बनाते वक्त [illegible] के मुताबिक खातेदार कास्तकारो की भूमि कम करते हुये प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के [illegible] दर्ज [illegible] दी गई । तथा शमशेरसिंह पुत्र श्री जरनेलसिंह के द्वारा अपने हक व हिस्सा में से 1.496 है0 [illegible] करने के पश्चात शेष भूमि 0.441 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड होने के बाव[illegible]के वक्त शमशेरसिंह पुत्र श्री जरनेलसिंह के नाम 1.937 है0 भूमि दर्ज कर दी गई । जिसके द्वारा [illegible] जैरवाद रकबा का बेचान प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में बैयनांमा करवा दिया गया । जो विधि विरूद्ध है तथा उक्त बैयनांमा वादी के हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हिस्सा पर निष्प्रभावी है । उक्त जैरवाद रकबा में प्रतिवादी सं0 1 के अधिक दर्ज 0.130 है0 रकबा वादी के नाम दर्ज हो चुका है इसलिए अब प्रतिवादी सं0 2 का सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात 1/10 हिस्सा यानि 0.620 है0 एवं प्रतिवादी सं0 3 का 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 में से 0.180 है0 भूमि कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के अभिभाषक ने प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से जबाब दावा पेश निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम अधिक दर्ज 0.130 है0 रकबा वादी के नाम दर्ज हो चुका है । इसलिए वादी प्रतिवादी सं0 1 से अब कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है । प्रतिवादी सं0 2 ता 3 की तरफ से जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज रकबा 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 एव प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 में से 0.180 है0 रकबा कलमजन कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही होगा । प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने जबाब दावा पेश कर दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया । वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम वर्तमान जमाबन्दी में संयुक्त खाता की भूमि चक 2 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 60/48 के प0न0 100/332 मु0न0 21 के किला न0 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी के नाम 173/620 हिस्सा अर्थात 1.730 है0 , प्रतिवादी सं0 1 के नाम 13/620 हिस्सा अर्थात 0.130 है0 , प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1/10हिस्सा अर्थात 0.620 है0 , प्रतिवादी सं0 3 के नाम 1/10 हिस्सा र्थात 0.620 है0, प्रतिवादी सं0 4 के नाम 1/4 हिस्सा अर्थात 1.550 है0, प्रतिवादी सं0 5 के नाम 1/4 हिस्सा अर्थात 1.550 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । उक्त जैरवाद रकबा में शमशेरसिंह पुत्र जरनेलसिंह के नाम 1.937 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । जिसके द्वारा अपने 1.937 है0 भूमि में से 1.496 है0 भूमि वादी को जरिये बैयनांमा द्वारा उप पजीयक सूरतगढ के समक्ष बैयनांमा तस्दीक करवाया गया। इस प्रकार उक्त जैरवाद रकबा में वादी के नाम 2.529 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई । इसके पश्चात शमशेरसिंह के पास उक्त जैरवाद रकबा में 0.441 है0 भूमि ही राजस्व रिकार्ड शेष रही थी। उक्त जैरवाद रकबा की नई जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 ऑन लाईन जमाबन्दी बनाते वक्त राजस्व रिकार्ड की पूर्व जमाबन्दी के मुताबिक वादी की खातेदार भूमि कम करते हुये प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दी गई । तथा प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज रकबा दुरूस्त करते हुये वादी के नाम दर्ज कर दिया गया । तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर उक्त रकबा की सहमति दी गई । इसलिए प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 एवं प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 में से 0.180 है0 भूमि अधिक दर्ज होने से कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा वाके **चक 2 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 60/48 के प0न0 100/332 मु0न0 21 के किला न0 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न0 2 के नाम से 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 एवं प्रतिवादी सं0 3 के नाम 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 में से 0.180 है0 कुल 0.800 है0 भूमि कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है ।** जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना -2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.09 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.
अनवान :

बगड़सिंह पुत्र श्री जरनेलसिंह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

----- वादी

बनाम

1–गुरप्रीतसिंह उर्फ रणजीतसिह पुत्र श्री पालसिंह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ
2–औमप्रकाश पुत्र श्री मामराज जाति मेघवाल साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ
3–विनोद कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति धानक साकिन जैतसर तहसील श्री विजयनगर
4–गुरमेलकौर पत्नी करनैलसिंह } अकवाम बाजीगर साकिनान मानेवाला तहसील
5–वकीलसिंह पुत्र करनैलसिंह } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
6–शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्तमान एसबीआई शाखा जैतसर
7–शाखा प्रबन्धक ओ बी सी बैंक वर्तमान पी एन बी शाखा निरवाना
8–उप पंजीयक सूरतगढ़ ।
9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

--- प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 252 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल किताई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू, प्रतिवादी नं0 1 ता 5 अभिभाषक महेन्द्र कुमार , सुर्य प्रकाश चौहान , प्रतिवादी सं0 6 ता 8 बावजूद सुचना उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 2 एम एन डब्ल्यू एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 60/48 के प0न0 100/332 मु0न0 21 के किला न0 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न0 2 के नाम से 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 एवं प्रतिवादी सं0 3 के नाम 1/10 हिस्सा अर्थात 0.620 है0 में से 0.180 है0, कुल 0.800 है0 भूमि कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है ।

नोज ....X.................मुबलिग ......X..........बाबत ....X............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....X...............फसदो की पालना.........X...........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)